Need to delegate power to MPs to take action against officers found guilty of negligence or irregularities in implementation of development schemes during DISHA meetings ? laid

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): भारत सरकार के निर्देशन में दिशा की बैठक की अध्यक्षता माननीय संसद सदस्यों द्वारा की जाती है। बैठक के दौरान विकास कार्यों एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेको अनियमितताएँ सामने आती है किन्तु बैठक की अध्यक्षता करने वाले माननीय संसद सदस्यों को दोषी व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार ना होने के कारण विकास कार्य व योजनाओं में अनियमितता करने वालो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि दिशा की नियमावली में संशोधन करते हुए दिशा की बैठक के अध्यक्ष मा० संसद सदस्यों को विकास कार्य में अनियमितता व सरकारी योजनाओ सरकारी योजनाओं को लागू करने में लापरवाही करने वाले भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाए जिससे कि विकास कार्य की गुणवता में सुधार एवं जन कल्याणकारी/गरीब कल्याण की योजनाओं का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जा सकें।